3 Pages

पूर्वोत्तर रेलवे

1
167/2017

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

कमांक– 167 /2017
सं0 ई/310/1/भाग–सात/चार

दिनांक 21–08–2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः–वेबसाइट को द्विभाषी अद्यतन करने हेतु।

वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी के पत्र संख्या रा/558/154/22–भाग–3दिनांक 09.08.2017 के साथ संलग्न रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2016/आर.बी.सी.सी./5/6/वेबसाइट अपडेशन दिनांक 04.07.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

21.08.17

(ए0 के0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
6– मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

21.08.17

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

महाप्रबंधक(राजभाषा)
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर.

2
167/2017

सं.रा/558/15/22-भाग-3

दिनांक 09.08.2017

- सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष
(वरि.उप महाप्रबंधक, मुसुआ, विसमुलेधि, भनिक, मुख्य विद्युत इंजीनियर, मुवाप्र, मुख्य संरक्षा अधिकारी, मुपरिप्र, मुसिदूइं, प्रमुइं, मुचिनि, मुयांइं, मुकाधि एवं मु.प्रशा.अधि./निर्माण संगठन).

विषयः- वेबसाइट को द्विभाषी अद्यतन करने हेतु.

संदर्भः-(1) रेलवे बोर्ड का दिनांक 04.07.2017 का पत्रांक 2016 /आर.बी.सी.सी./5/6/वेबसाइट अपडेशन.
(2) दि.27.06.2017 को संपन्न क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिया गया निर्णय - मदसं.24.3.

-:-

रेलवे बोर्ड ने निर्देशित किया है कि वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना तत्थ्यपरक, द्विभाषी, हिंदी के यूनिकोड समर्थित फॉण्ट में हो और उसे समय-समय पर अद्यतन किया जाए.

आप सभी से अनुरोध है कि अपने विभाग के वेबपेज द्विभाषी एवं अद्यतन रखने के लिए समुचित व्यस्था की जाए और अपने वेबपेज का निरीक्षण करके यह जाँच लें कि हिंदी और अंग्रेजी वेबपेज में उपलब्ध सामग्री एक समान हो. यदि न हो तो को जल्दी समानान्तर करा लें.

साथ ही यह भी देख लें कि आपके वेबपेज पर उपलब्ध सूचना तत्थ्यपरक, द्विभाषी, हिंदी के यूनिकोड समर्थित फॉण्ट में हो और उसे समय-समय पर अद्यतन किया जाए एवं अनावश्यक सामग्री हटवा लें.

उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अनुपालन स्थिति से इस कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराया जाए.

संलग्नकः संदर्भित पत्र

09.08.17
(डॉ. संजय कुमार सिह)
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) 167/2017

सं. 2016/आर.बी.सी.सी./5/6/वेबसाइट उप्डेशन — दिनांक : 04-07-2017

CSTE

मु.रा.धि.

महाप्रबंधक कार्यालय
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
06 JUL 2017

महाप्रबंधक, (NER)
सभी भारतीय रेल, उत्पादन इकाइयां, कोर

महानिदेशक,
आर.डी.एस.ओ, लखनऊ एवं आरएससी/वडोदरा

निदेशक,
सभी केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र

विषय : वेबसाइट को द्विभाषी अघतन करने हेतु
संदर्भ : बोर्ड पत्र समकक्ष स. दि. 18.02.2016.

रेल इकाइयों की वेबसाइट पर सूचना को हिन्दी और अंग्रेजी द्विभाषी दोनों रूप मे उपलब्ध कराने तथा इनको निरंतर अपडेट करने हेतु आवश्यक निर्देश समय समय पर जारी किए जाते रहे हैं।

इसी विषय मे संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के 9वें खंड की सिफ़ारिशों पर माननीय राष्ट्रपति जी के आदेश के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.03.2017 को जारी किया गया है । उसमे यह कहा गया कि भारतीय रेल कि वैबसाइट हिन्दी एवं अँग्रेजी में समानांतर नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि दोनों वैबसाइटस को जल्दी ही समानांतर करने कि कृपा करें।

इसके अलावा यह भी देखा गया है कि कुछ कार्यालयो की वैबसाइट पर दी गई जानकारी यूनिकोड समर्थित फॉन्ट में न होने के कारण प्रयोगकर्ताओ को इन वैबसाइटो के उपयोग में फॉन्ट संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है। यूनिकोड कि सुविधा कम्प्युटरों पर निशुलक उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का विवरण इस विभाग के पत्र स. 2003/आर.बी.सी.सी./वेब पार्ट.1 दि. 22.10.2010 में भी उल्लेखित है। इसका विवरण राजभाषा विभाग की वैबसाइट http://www.rajbhasha.nic.in/ittools.pdf पर भी देखा जा सकता है।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन स्थिति से इस कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराया जाय।

(गौरव शर्मा)
निदेशक यां. ई. (सी एंड आई एस)
रेलवे बोर्ड

कृपया आवश्यक कार्यवाई के लिए
सभी विभागों को भेजें.